

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक
चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



2020—2021

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध
चिकित्सालय में कंकरन्ट ऑडिट, ई-टी.डी.एस. त्रैमासिक
रिटर्न, जी.एस.टी. एवं ई.पी.एफ. कार्यों हेतु सीमित निविदा
(प्रथम आमंत्रण)

सीमित निविदा क्रमांक-05

निविदा फार्म मूल्य रु. 500/-

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

क्रमांक

/कय/जी.एम.एच./2020

रीवा,दिनांक

// निविदा सूचना //

स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा एवं संबद्ध चिकित्सालय के, स्वशासी समिति के कंकरन्ट आडिट, ई.टी.डी.एस. त्रैमासिक रिटर्न, जी.एस.टी. एवं ई.पी.एफ. कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 (तीन वित्तीय वर्ष) के लिये-

(अ) पंजीकृत एवं अनुभवी चार्टड अकाउण्टेंट

(ब) ई-टी.डी.एस. त्रैमासिक रिटर्न एवं जी.एस.टी. मासिक रिटर्न हेतु कर सलाहकार तथा

(स) ई.पी.एफ. विवरणी संधारण हेतु सलाहकार

की सेवाएं ली जानी है। इच्छुक निविदाकार दिनांक 27.06.2020 को शाम 05.00 बजे तक अपनी सीलबंद निविदा संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जी.एम.एच. रीवा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। सीमित निविदा फार्म एवं शर्तें चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट <http://ssmcrewa.com/> से डाउनलोड करें। निविदा दिनांक 29.06.2020 को दोपहर 01.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जावेगी। निविदाकार फर्म का मुख्यालय मध्यप्रदेश एवं जिला कार्यालय रीवा में स्थित होना आवश्यक है।

सीमित निविदा की शर्तें:-

1. निविदा प्रपत्र के साथ सीमित निविदा आवेदन का मूल्य रु. 500.00(पांच सौ) एवं अमानत राशि 5000.00 (पांच हजार मात्र) रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी वाणिज्यिक बैंक का डीडी. पृथक-पृथक जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के नाम से देय हो लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना सीमित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। डाउनलोड किए निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

2. अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र का डीडी लिफाफा “A”, अन्य दस्तावेज लिफाफा “B”, एवं दर लिफाफा “C”, सीलबंद कर बड़े लिफाफा “D”, में प्रस्तुत की जावेगी।
3. दरें उन्ही निविदाकारों की खोली जावेगी जिनके लिफाफा “A”, एवं “B”, के दस्तावेज मांगे अनुसार होंगे।
4. शासन हित में सभी प्रकार की निविदा या किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा।
5. सीमित निविदा की दरें क्रय समिति के अनुमोदन दिनांक से 03 वर्ष अथवा नई निविदा प्रभावशील होने तक वैध रहेंगी।
6. निविदाकार की कोई शर्त स्वीकार नहीं होगी।
7. विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रीवा होगा।

अर्हता व अनुभव/कार्यों का विवरण

सेवायें	अर्हता/अनुभव	कार्यों का विवरण	शर्तें
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट	<ol style="list-style-type: none"> 1.संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेड फर्म को इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेड आफ इन्डिया में पंजीयन होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 2.संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेड फर्म को स्वशासी समिति के कंकरेन्ट आडिट कार्यों का न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जायें। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय के विभिन्न विभागों से स्वशासी निधि में होने वाली दैनिक आय का अंकेक्षण एवं स्वशासी निधि में जमा होने की पुष्टि। 2. स्वशासी समिति के अन्तर्गत समस्त दैनिक व्ययों का अंकेक्षण वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों/वित्त समिति/कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के आधार पर करना। 3. मासिक आय व्यय पत्रक एवं बैंक समाधान पत्रक तैयार करना। 4. वार्षिक आय व्यय पत्रक एवं बैलेंस शीट तथा बैंक समाधान पत्रक तैयार कराना। 5.आयकर एवं जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना। 6.समय-समय पर समिति को आवश्यक वित्तीय सलाह प्रदान करना। 7.वार्षिक बजट तैयार करना। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. वार्षिक कार्य मूल्यांकन में कार्य संतोष प्रद न पाये जाने पर निविदा समाप्त की जा सकेगी। 2. किसी संस्था की आडिट में अनियमितता संबंधी पुष्ट जानकारी पाये जाने पर निविदा अमान्य की जा सकेगी। 3. CAG से रजिस्टर्ड एवं ISA Reputed firm को प्राथमिकता दी जावेगी।
आयकर सलाहकार	<ol style="list-style-type: none"> 1. निविदाकार को एल.एल.बी. योग्यता के साथ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ई.टी.डी.एस. त्रैमासिक रिटर्न फीडिंग एवं जी.एस.टी. मासिक का 	<ol style="list-style-type: none"> 1.वार्षिक कार्य मूल्यांकन में कार्य

	<p>स्टेटबार कौशल में पंजीयन होना चाहिए। पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें।</p> <p>2. किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संभागीय प्रशासनिक कार्यालय में जी.एस.टी., ई-टी.डी.एस. त्रैमासिक रिटर्न संबंधी कार्यों का न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जायें।</p>	<p>कार्य संपादित करना।</p> <p>2. आयकरदाताओं का फार्म 16 तैयार करना।</p> <p>3. आयकर विभाग से प्राप्त किसी भी नोटिस का जबाब तैयार कर निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही करना।</p> <p>4. समय सीमा में आयकर से संबंधित समुचित कार्यवाही संपादित करना।</p> <p>5. माह फरवरी में प्राप्त प्रपत्र 12 सी का परीक्षण करना।</p>	<p>संतोष प्रद न पाये जाने पर निविदा समाप्त की जा सकेगी।</p> <p>2. किसी संस्था के जी.एस.टी. ई.टी. डी.एस. त्रैमासिक रिटर्न फीडिंग कार्य में अनियमितता एवं लापरवाही संबंधी पुष्ट जानकारी पाये जाने पर निविदा अमान्य की जा सकेगी।</p>
<p>ई.पी.एफ. सलाहकार</p>	<p>1. ई.पी.एफ. संबंधी कार्यों का न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जायें।</p> <p>2. ई.पी.एफ. कार्यालय द्वारा धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारित जाँच कार्यवाही में न्यूनतम पाँच वर्षों में संस्था का पक्ष प्रस्तुत करने का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।</p>	<p>1. के.वाय.सी. डाटा एन्ट्री तैयार कर प्रस्तुत करना।</p> <p>2. ई.पी.एफ. से संबंधित प्राप्त किसी भी नोटिस का समुचित उत्तर तैयार कर समय सीमा में निराकृत करना।</p> <p>3. संस्था कर्मचारियों से संबंधित दावों के निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही करना।</p> <p>4. संस्था के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से टेके पर संचालित सेवाओं में संलग्न कर्मचारियों से संबंधित टेकेदार द्वारा ई.पी.एफ.के समुचित संधारण संबंधी आवश्यक अभिलेखों का मासिक परीक्षण करना।</p> <p>5. ई.पी.एफ. से संबंधित किसी भी कार्य के लिए अधिष्ठाता के निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पादित करना।</p>	<p>1. वार्षिक कार्य मूल्यांकन में कार्य संतोष प्रद न पाये जाने पर निविदा समाप्त की जा सकेगी।</p> <p>2. किसी संस्था के ई.पी.एफ. संधारण संबंधी कार्यों में अनियमितता एवं लापरवाही संबंधी पुष्ट जानकारी पाये जाने पर निविदा अमान्य की जा सकेगी।</p>

**संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा (म.प्र.)**

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट / आयकर सलाहकार / ई.पी.एफ.

सलाहकार के कार्यों हेतु

निविदा प्रपत्र

1. फर्म का नाम :-
2. पता (फोन नम्बर सहित) :-
3. फर्म का कन्सल्टिड्यूशन :-
4. फर्म का पंजीयन क्रमांक :-

(अद्यतन स्थिति में फर्म के पंजीयन की प्रति संलग्न करें)

5. प्रोपाइटर/पार्टनर के नाम एवं सदस्यता क्रमांक :-
6. फर्म का अनुभव व कार्य विवरण :-

(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7. चाही गई वार्षिक अंकेक्षण शुल्क :-
 - अ. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रूपये.....
 - ब. आयकर सलाहकार रूपये.....
 - स. ई.पी.एफ. सलाहकार रूपये.....

(नोट :- जो कालम लागू न हो उनके सामने "लागू नहीं" लिखा जायें।)

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील